बिहार किरासन तेल कूपन योजना - 2006

दिशा - निर्देश

बिहार सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

विषय - सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	01
2.	योजना का उद्देश्य	02
3.	प्रशासनिक व्यवस्था	02
4.	जिला पदाधिकारी का दायित्व	02
5.	अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी का दायित्व	03
6.	अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व	03
7.	प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व	03
8.	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक का दायित्व	03
9.	जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं का दायित्व	04
10.	योजना का कार्यान्वयन	04
11.	निधि की व्यवस्था	05
12.	विविध	06
13.	परिशिष्ट एवं प्रपत्रों की विवरणी	
	(i) परिशिष्ट	7-9
	(ii) प्रपत्र	10-25

बिहार किरासन तेल कूपन योजना - 2006

‘‘ प्रस्तावना ’’

राज्य में किरासन तेल कूपन योजना के तहत बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 5 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति तत्काल की जायेगी ।

गरीबी रेखा से उपर रहने वाले परिवारों हेतु सभी जिलों को किरासन तेल का उपावंटन किया जायेगा, जिसमें से ठेला भेंडरों एवं जिला सुरक्षित के अतिरिक्त ए0 पी0 एल0 परिवारों हेतु प्रति परिवार के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा इसका उपावंटन किया जायेगा, जो लगभग प्रति ए0 पी0 एल0 परिवार 2½ लीटर के बीच तत्काल आपूर्ति की जायेगी ।

भविष्य में भारत सरकार द्वारा किरासन तेल के आवंटन में कमी या वृद्धि के अनुसार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है ।

लक्षित परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार किरासन तेल कूपन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

बिहार किरासन तेल कूपन योजना - 2006

(1) <u>योजना का उद्देश्य</u> -

अंत्योदय एवं गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले (बी.पी.एल.) लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

(2) <u>प्रशासनिक व्यवस्था</u>

2.1 प्रत्येक जिला में इस योजना का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होगी ।

2.2 जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ अनुभाजन पदाधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।

2.3 इस योजना का क्रियान्वयन अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होगा ।

2.4 इस योजना का क्रियान्वयन प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होगा ।

2.5 प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।

2.6 शहरी क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पणन पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।

2.7 किरासन तेल कूपन का मुद्रण एकीकृत रूप से मुख्यालय से कराकर जिलों को आपूर्ति की जायेगी । किरासन तेल कूपन का नमूना प्रपत्र-1 के अनुसार होगा । कूपन के बारे में विवरणी परिशिष्ट ‘‘क” में देखा जा सकता है ।

(3) <u>जिला पदाधिकारी का दायित्व</u>

3.1 इस योजना का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होगा ।

3.2 जिला में प्राप्त कूपनों को स्ट्रौंग रूम में रखने की व्यवस्था एवं प्रर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना ।

3.3 किरासन तेल कूपन का वितरण अपने देख-रेख में सुनिश्चित करना ।

3.4 इस योजना के क्रियान्वयन के लिए किरासन तेल से सम्बन्धित पंजियों का मुद्रण - संबंधित पंजियों के प्रपत्रों का नमूना प्रपत्र 2 से 5 तथा 8 से 11 तक देखा जा सकता है ।

(4) <u>अनुभाजन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी का दायित्व</u>

4.1 किरासन तेल कूपन को प्रेस प्रतिनिधि से जिला मुख्यालय में प्राप्त करना तथा उसका प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना ।

4.2 किरासन तेल कूपन का वितरण एवं इससे संबंधित अभिलेखों के संधारण का पूर्ण दायित्व होगा ।

4.3 जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा वापस किये गये कूपनेंा के आधार पर किरासन तेल का अगला आबंटन निर्गत करना ।

4.4 किरासन तेल कूपन खोने/नष्ट होने/विकृत होने की स्थिति में डुप्लीकेट कूपन निर्गत करना ।

(5) <u>अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व</u>

5.1 किरासन तेल कूपन का वितरण अपने देख-रेख में सुनिश्चित करना ।

(6) <u>प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व</u>

6.1 किरासन तेल कूपन का वितरण अपने देख-रेख में सुनिश्चित करना ।

(7) <u>पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का दायित्व</u>

7.1 अपने क्षेत्राधिकार में किरासन तेल कूपन का वितरण एवं इससे संबंधित अभिलेखों को प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र 4 में संधारण का पूर्ण दायित्व होगा ।

7.2 जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा वापस किये गये किरासन तेल कूपन का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन प्रपत्र-9 में भेजकर जिला से अगले माह के लिए आबंटन की मांग करना ।

7.3 3 माह के पश्चात् जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा वापस किये गये किरासन तेल कूपनेंा को विनष्ट करना । विनष्ट करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-ग में देखा जा सकता है ।

(8) <u>जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं का दायित्व</u>

8.1 लाभार्थी द्वारा राशन कार्ड एवं किरासन तेल कूपन जमा करने पर अंत्योदय तथा बी.पी.एल. परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति करना ।

8.2 किरासन तेल आपूर्ति के पश्चात् राशन कार्ड में प्रविष्टि के पश्चात् लाभार्थी को राशन कार्ड वापस करना एवं किरासन तेल कूपन अपने पास सुरक्षित रखना ।

8.3 लाभार्थियों से प्राप्त कूपनेां पर बिक्रेता द्वारा दूकान का मुहर (जिसमें दूकानदार का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पंचायत/वार्ड का नाम/सं0 अंकित होगा) लगाया जायेगा ।

8.4 महीने के अन्त तक प्राप्त किरासन तेल कूपनेां को संकलित कर प्रपत्र-8 में प्रतिवेदन के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना ।

8.5 किरासन तेल के लिए एक भंडार पंजी प्रपत्र-6 अ,ब,स एवं वितरण पंजी प्रपत्र 7 अ,ब,स में संधारण करेंगे । पंजियों का विहित प्रपत्र 6 से 7 का मुद्रण जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपने स्तर से करायेंगे ।

(9) <u>योजना का कार्यान्वयन</u>

9.1 राज्य स्तर पर मुद्रित किरासन तेल कूपन अंत्योदय एवं बी.पी.एल. योजना के लाभार्थियों को संबंधित पंचायत/वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर शिविर लगाकर आम सभा में वितरण किया जायेगा ।

9.2 लाभार्थियों को किरासन तेल कूपन निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

9.3 किरासन तेल कूपन लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अप्रील के प्रथम सप्ताह में एक वर्ष के लिए एक मुश्त में उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

9.4 बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह अनुमान्य 5 लीटर किरासन तेल की मात्रा में प्रति माह के लिए किरासन तेल कूपन का एक कूपन उपलब्ध कराया जायेगा । इस तरह एक वर्ष के लिए 12 कूपन एक मुश्त उपलब्ध कराया जायेगा ।

9.5 लाभार्थी संबद्ध जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से किरासन तेल लेने के लिए अपना राशन कार्ड एवं किरासन तेल कूपन बिक्रेता को हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान लगाकर समर्पित करेंगे ।

9.6 जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता राशन कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि करेंगे तथा लाभार्थी को किरासन तेल उपलब्ध कराने के पश्चात् राशन कार्ड उन्हें वापस करेंगे एवं किरासन तेल कूपन अपने पास सुरक्षित रखेंगे ।

9.7 जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अगले माह के 5वीं तारीख तक पिछले माह के भुगतानसुदा कूपन तथा प्रपत्र सं-8 में प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करेंगे ।

9.8 पणन पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा वापस किये गये किरासन तेल कूपन का संकलन कर प्रतिवेदन प्रपत्र-9 में जिला को समर्पित करेंगे तथा अगले माह के लिए आबंटन की मांग करेंगे ।

9.9 किसी लाभार्थी का किरासन तेल कूपन खोने/नष्ट होने/विकृत होने की स्थिति में लाभार्थी द्वारा प्रपत्र-10 में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा । प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उसकी जांच कर अपनी अनुशंसा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजेंगे ।जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुभाजन पदा0 द्वारा प्रपत्र-11 में आदेश पारित कर डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन निर्गत किया जायेगा ।

9.10 डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन बुक निर्गत करने के लिए लाभार्थियों से 10/- की दर से कीमत वसूल की जायेगी इसका लेखा जोखा जिला आपूर्ति कार्यालय में संधारित किया जायेगा ।

9.11 किरासन तेल कूपन अहस्तांतरणीय होगा । किसी व्यक्ति के पास कूपन अनाधिकृत रूप से पाये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

9.12 लाभार्थी द्वारा किरासन तेल का उठाव किरासन कूपन पर उसी माह के अंतिम तिथि तक निश्चित रूप से किया जायेगा ।

(10) <u>निधि की व्यवस्था</u>

10.1 इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिला को गैर योजना मद से राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) <u>विविध</u>

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर बिहार किरासन तेल कूपन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तथा क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगी ।

परिशिष्ट - क

<u>किरासन तेल कूपन का मुद्रण</u>-

1. अंत्योदय अन्न योजना एवं बी.पी.एल. योजना के परिवारों के लिए कूपन का रंग नीला (Blue) होगा ।
2. अंत्योदय अन्न योजना एवं बी.पी.एल. योजना के परिवारों के लिए किरासन तेल कूपन का आकार एवं कूपन में अंकित किये जाने वाले सूचना प्रपत्र **1** के अनुसार होगा ।
3. किरासन तेल कूपन में जिला का कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा । जिला का कोड परिशिष्ट-ख के अनुसार होगा ।
4. एक जिला के लिए मुद्रित किये जाने वाले किरासन तेल कूपनेां का क्रमांक प्रत्येक माह के लिए लगातार क्रम में होगा । इस प्रकार लाभार्थी को मिलने वाले कूपन बुक के प्रत्येक माह के कूपन पर समान संख्या अंकित होगा ।
5. कूपन मुद्रित कराने के पश्चात् अंत्योदय एवं बी.पी.एल. योजना के परिवारों के लिए 12 कूपनों का एक बुक तैयार किया जायेगा ।
6. किरासन तेल कूपन का मुद्रण राज्य स्तर पर एकीकृत रूप से कराकर जिलों को आपूर्ति की जायेगी ।

परिशिष्ट- ख

जिला कोड की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	कोड सं0 (बी. एच.)
1	अररिया	01
2	औरंगाबाद	02
3	बांका	03
4	बेगुसराय	04
5	भभुआ (कैमूर)	05
6	भागलपुर	06
7	भोजपुर	07
8	बक्सर	08
9	छपरा (सारण)	09
10	दरभंगा	10
11	पूर्वी चम्पारण	11
12	गया	12
13	गोपालगंज	13
14	जहानाबाद	14
15	जमुई	15
16	कटिहार	16
17	खगड़िया	17
18	किशनगंज	18
19	लखीसराय	19
20	मधेपुरा	20
21	मधुबनी	21
22	मुंगेर	22
23	मुजफ्फरपुर	23
24	नालन्दा	24
25	नवादा	25
26	पटना	26
27	पूर्णिया	27
28	रोहतास	28
29	सहरसा	29
30	समस्तीपुर	30
31	शेखपुरा	31
32	शिवहर	32
33	सीतामढ़ी	33
34	सिवान	34
35	सुपौल	35
36	वैशाली	36
37	प0 चम्पारण	37
38	अरवल	38

परिशिष्ट- ग

प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं द्वारा जमा किये गये भुगतानशुदा किरासन तेल कूपनें को जमा करने वाले सम्बन्धित कार्मिक/ अधिकारी द्वारा "CANCELLED" की रबर स्टाम्प लगाकर तीन महीने तक सुरक्षित रखा जायेगा । देहाती क्षेत्रो में प्रखंड प्रमुख एवं शहरी क्षेत्रो में मेयर या उनके प्रतिनिधि/ नगर अध्यक्ष की उपस्थिति में फाड़कर जला दिया जायेगा ।

<u>प्रपत्र - 1</u>

अशोक स्तम्भ

(अवर सचिव का लघु हस्ताक्षर) (सत्यमेव जयते)

अहस्तान्तरणीय

बिहार सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

जिला कोड - .... **कूपन क्र0सं. 00000000**

जिला का नाम .... **<u>किरासन तेल कूपन योजना</u>**

माह का नाम ....

किरासन तेल की मात्रा - 5 ली0 प्रति **अंत्योदय/बी.पी.एल.** परिवार के लिए

विक्रय मूल्य - 10.41 से 11.55 रू0 प्रति ली0 के बीच (जिला स्तर पर परिवहन दर निर्धारिण के आधार पर)

जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के दुकान का सील ....

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान हस्ताक्षर

किरासन तेल कूपन का रंग - नीला (Blue)

किरासन तेल कूपन का आकार - 6” × 4”

प्रपत्र - 2

शहरी क्षेत्र/प्रखंडवार किरासन तेल कूपन योजना में आवंटित किये गये किरासन तेल कूपनेां का विवरण रखने हेतु संधारित रजिस्टर का प्रपत्र

(जिला आपूर्ति कार्यालय में संधारित किया जाना है)

क्र0 सं0	शहरी क्षेत्र/प्रखंड का नाम	5 ली0 किरासन तेल के लिए जारी किये गये किरासन तेल कूपनेां का विवरण				प्राप्तकर्त्ता अधिकारी/ कर्मचारी का विवरण	
		मासिक कूपन की संख्या		एक वर्ष के लिए कुल किरासन तेल कूपनों की संख्या	कुल किरासन तेल कूपन बुकों की संख्या	नाम	हस्ताक्षर
		क्रमांक से	क्रमांक तक				
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>प्रपत्र - 3</u>

नगरपालिका/नगर निगम/शहरी क्षेत्र/प्रखंडवार किरासन तेल कूपन योजना में आवंटित किये गये किरासन तेल कूपनेंा का विवरण रखने हेतु संधारित रजिस्टर का प्रपत्र

(शहरी क्षेत्र/प्रखंड मुख्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत/ नगरपालिका/ नगरनिगम वार्ड संख्या	जारी किये गये किरासन तेल कूपनेंा की संख्या				प्राप्तकर्त्ता अधिकारी / कर्मचारी का विवरण	
		मासिक कूपन की संख्या		एक वर्ष के लिए कुल किरासन तेल कूपनों की संख्या	कुल कि0 तेल कूपन बुकों की संख्या	नाम	हस्ताक्षर
		क्रमांक से	क्रमांक तक				
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र - 4

किरासन तेल कूपन योजना हेतु किरासन तेल कूपन वितरण रजिस्टर का प्रपत्र

नगरपालिका/नगर निगम .... वार्ड संख्या ....

ग्राम पंचायत .... ग्राम का नाम ....

(नगरपालिका/नगर निगम वार्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित कर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में वापस किया जाना है एवं प्रखंड में सुरक्षित रखा जायेगा)

क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	S.C/ S.T./ O.B.C. / Gen.	राशन कार्ड संख्या	5 ली0 कि0 तेल जारी किये गये कि0 तेल कूपन का विवरण			कि0 तेल कूपन वितरण दिनांक	परिवार के मुख्यिा/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
				माहवार क्रमांक	कुल कि0 तेल कूपनेंा की संख्या	कुल बुकों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र - 5 (अ)

प्रखंड ....

राशन कार्डो की संख्या के आधार पर वितरित किरासन तेल कूपनेंा के लिये
जन वितरण प्रणाली दूकानवार प्रतिमाह आपूर्ति किये जाने वाले
किरासन तेल की मात्रा का विवरण (मात्रा - लीटर में)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	क्र. सं.	जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम	राशन कार्ड संख्या	किरासन तेल कूपन योजनान्तर्गत 5 ली0 से कि0 तेल की मात्रा	कुल कि0 तेल आपूर्ति की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र - 5 (ब)

नगरपालिका/नगर निगम ....

राशनकार्डो की संख्या के आधार पर वितरित किरासन तेल कूपनें के लिये जन वितरण प्रणाली बिक्रेतावार प्रतिमाह आपूर्ति किये जाने वाले किरासन तेल की मात्रा का विवरण (मात्रा - लीटर में)

क्र. सं.	जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम	क्र. सं.	वार्ड संख्या	राशन कार्ड संख्या	किरासन तेल कूपन योजनान्तर्गत 5 ली0 से कि0 तेल की मात्रा	कुल कि0 तेल आपूर्ति की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र - 6 (अ)

(कवर पृष्ठ)

क्रमांक :

प्रखंड ....

जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम .... अनुज्ञप्ति संख्या ......

ग्राम का नाम .... पंचायत का नाम ....

किरासन तेल का स्टॉक रजिस्टर

योजना का नाम :

1. किरासन तेल

अवधि : अप्रैल, 200 से मार्च, 200 तक

<u>प्रपत्र - 6 (ब)</u>

किरासन तेल स्टॉक संधारण हेतु आवंटित पृष्ठों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित पृष्ठ संख्या		कुल पृष्ठ संख्या
		से	तक	
1	किरासन तेल			

जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम .... ग्राम का नाम ... . पंचायत का नाम .... प्रखंड का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि इस स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या .... से .... तक है । यह स्टॉक रजिस्टर किरासन तेल कूपन योजना के लिए है ।

हस्ताक्षर
जन वितरण प्रणाली बिक्रेता

हस्ताक्षर
(प्रखंड आ0 पदा0/ आ0 निरीक्षक)

कार्यालय मुहर

प्रपत्र - 6 (स)

.... योजना स्टॉक रजिस्टर

दिनांक	प्रारंभिक भंडार	आमद मात्रा	योग किरासन तेल (2+3)	विक्रय मात्रा	अवशेष स्टॉक ;4 . 5द्ध	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र - 7 (अ)

(कवर पृष्ठ)

क्रमांक :

प्रखंड ....

जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम .... अनुज्ञप्ति संख्या ....

ग्राम का नाम .... पंचायत का नाम ....

<u>किरासन तेल वितरण रजिस्टर</u>

योजना का नाम :

1. किरासन तेल

अवधि : माह .... से माह .... तक

प्रपत्र - 7 (ब)

किरासन तेल वितरण हेतु आवंटित पृष्ठों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित पृष्ठ संख्या		कुल पृष्ठ संख्या
		से	तक	
1	किरासन तेल			

जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम .... ग्राम का नाम .... पंचायत का नाम .... प्रखंड का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि इस वितरण रजिस्टर में पृष्ठ संख्या .... से ...... तक है ।

हस्ताक्षर
जन वितरण प्रणाली बिक्रेता

हस्ताक्षर
(प्र0आ0 पदा0/ आ0नि0)

कार्यालय मुहर

<u>प्रपत्र - 7 (स)</u>

किरासन तेल कूपन योजना वितरण रजिस्टर

दिनांक	क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	राशन कार्ड संख्या	किरासन तेल कूपन क्रमांक	विक्रय मात्रा (लीटर में)	विक्रय राशि	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>प्रपत्र - 8</u>

किरासन तेल कूपन जमा कराने का विवरण

सेवा में,

....

....

जनवितरण दुकानदार .... पंचायत/ वार्ड .... प्रखंड/नगरपालिका/नगर निगम .... द्वारा माह .... में किरासन तेल कूपन पर वितरण किये गये किरासन तेल की मात्रा एवं किरासन तेल कूपनेां की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

अतः उपरोक्तानुसार कुल किरासन तेल कूपन ....

क्रम सं0	योजना का नाम	पूर्व माह का अवशेष	माह में प्राप्त	कुल मात्रा ;3़4द्ध	जमा किरासन तेल कूपनेां की सं0	जमा कि0 तेल कूपन के आधार पर वितरित कि0 तेल की मात्रा	अवशेष कि0 तेल की मात्रा ;5.7द्ध
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किरासन तेल						

किरासन तेल की कुल वितरित मात्रा -

श्रीमान् के कार्यालय में जमा करने हेतु प्रस्तुत है ।

हस्ताक्षर जनवितरण दुकानदार

उपरोक्तानुसार योजनावार जमा कराये गये किरासन तेल कूपनेां की गणना एवं जांच के आधार पर किरासन तेल की वितरित मात्रा प्रमाणित की जाती है । जमा किये गये किरासन तेल कूपनेां पर CANCELLED की छाप लगा दी गयी है । उपरोक्तानुसार उचित मूल्य दुकानदार से किरासन तेल कूपन जमाकर इस प्रपत्र की द्वितीय प्रति पर रसीद दी गयी ।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक
का हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर

<u>प्रपत्र - 9</u>

किरासन तेल कूपनों पर वितरित
किरासन तेल की मात्रा का जनवितरण प्रणाली बिक्रेतावार विवरणी

प्रखंड/नगरपालिका/नगर निगम .... माह का नाम ....
....

(मात्रा लीटर में)

क्र0 सं0	नाम जनवितरण दुकानदार	प्रारंभिक भंडार	माह में प्राप्त	योग (3+4)	जमा कि0 तेल कूपनेंा के आधार पर वितरित कि0 तेल की मात्रा	अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7

<u>प्रपत्र - 10</u>

(डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन बुक हेतु आवेदन का प्रपत्र)

सेवा में,

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी

....

विषय :- डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन बुक जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मैं, ... पुत्र/पति .... उम्र .... निवासी .... ग्राम / नगरपालिका/नगर निगम वार्ड .... ग्राम पंचायत /नगरपालिका .... का निवासी हूँ ।

मैं, ... जन वितरण प्रणाली बिक्रेता .... के दूकान से किरासन तेल प्राप्त करता हूँ । मेरा राशन कार्ड संख्या .... है । मुझे किरासन तेल कूपनेंा की क्रमांक .... से .... तक बुक जारी की गयी थी । इसमें से मेरे द्वारा माह .... से माह .... तक कुल .... किरासन तेल कूपनेंा पर किरासन तेल प्राप्त कर लिया गया है । इस किरासन तेल कूपन बुक में अब .... किरासन तेल कूपन बचे हैं एवं अब यह किरासन तेल कूपन बुक मुझसे खो गयी है / नष्ट हो गयी है /विकृत हो गयी है । मुझे किरासन तेल प्राप्त करने हेतु डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन बुक की आवश्यकता है जो निर्धारित कीमत पर जारी करने की कृपा करें । मूल किरासन तेल कूपन बुक मिल गयी तो उसे मैं आपके कार्यालय में जमा कर दूँगा एवं इसका दुरूपयोग नही करूंगा । मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही हैं एवं गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

आवेदन दिनांक .... आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र का जांच किया । आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है ।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक

<u>प्रपत्र - 11</u>

(डुप्लीकेट किरासन तेल कूपन बुक जारी करने का आदेश)

आदेश

श्री / श्रीमती .... पुत्र / पत्नी .... निवासी .... ग्राम पंचायत/वार्ड .... प्रखंड/नगरपालिका/नगर निगम .... द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि इनके द्वारा प्राप्त किरासन तेल कूपनेंा में से माह .... से माह .... तक के कुल .... किरासन तेल कूपन खो गया / विकृत हो गयी /नष्ट हो गयी है ।

अतः श्री / श्रीमती .... की शेष अवधि माह .... से माह .... तक के लिये निम्नानुसार डुप्लिकेट किरासन तेल कूपन जारी किये जाते है ।

योजना का नाम	शेष अवधि	कि0 तेल कूपन का डिनोमिनेशन	कि0 तेल कूपन के क्रमांक		कुल कि0 तेल कूपन
			से	तक	
		योग			

नियमानुसार वसूल की जाने वाली राशि की रसीद लाभार्थी को जारी की गई ।

हस्ताक्षर
जिला आपूर्ति पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक
2. सम्बन्धित जनवितरण दूकानदार .... को आदेश दिया जाता है कि लाभार्थी को या अन्य किसी व्यक्ति को उक्त क्रमांक के खोये हुए कि0 तेल कूपनेंा पर कि0 तेल की आपूर्ति नही करें ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी